न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–268/2026

पौड़ा थाना काण्ड सं0–39/2024

दुलारचंद यादव एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित

संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

01.04.2026

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. दुलारचंद यादव, 2. विकास यादव उर्फ रामविलास यादव एवं 3. दिलीप यादव** की ओर से पौड़ा थाना काण्ड सं0–39/2024, धारा–126(2), 115(2), 352, 308(2), 308(5), 351(2), 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार के द्वारा संचालित किया गया।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक सं0–1 एवं 3 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आवेदक सं0–2 के विरूद्ध अन्य एक आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदकगण को पुलिस के द्वारा 35(3) BNSS के तहत लाभ दिया गया है। इस मामले के सूचक रामचरण यादव आवेदकगण सगे चाचा है। आवेदकगण मुकदमे का आवेदकगण मुकदमे का सामना करने को तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

सूचक रामचरण यादव के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 06.

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–268/2026
पौड़ा थाना काण्ड सं0–39/2024

लगातार
01.04.2026

12.2024 को समय करीब दस बजे दिन में मौजा बलतारा स्थित खेत में जोत–बाग करने गये, तो देखा कि अभियुक्त दुलारचंद यादव, बीरबल यादव, अभिषेक यादव उर्फ चिरंगी यादव, विलास यादव, दिलीप यादव एवं 7–8 अज्ञात बदमाशों के साथ हरवे–हथियार से लैस होकर उसके खेत पर आये और सूचक को गाली–गलौज करने लगे एवं 05 लाख रूपये रंगदारी की माँग किये। सूचक एवं उसके परिवार को हत्या कर देने की धमकी दिये। सूचक एवं अन्य लोगों के विरोध करने पर उक्त नामित मुदालह थीनट सटाकर सूचक को धमकी दिया कि तुरंत रंगदारी दो, नहीं तो गोली मार देंगे। सूचक डर से बीस हजार रूपये अभियुक्त दुलारचंद यादव को दे दिया। अभियुक्त बीरबल यादव उसे मुक्का एवं लात मारकर नीचे गिरा दिया और अन्य अभियुक्तगण गाली देते हुए लात–मुक्का से मारने लगा। सूचक जिस जमीन को जोतने गया था, वह उसकी व्यक्तिगत खरीदगी जमीन है। इस जमीन के अतिरिक्त भी सूचक की मुरौसी जमीन है, जिसे ये लोग हड़पना एवं बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदकगण सहित अन्य सह–अभियुक्तों एवं अज्ञात के विरूद्ध धारा–126(2), 115(2), 352, 308(2), 308(5), 351(2), 3(5) BNS के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की है। आवेदकगण इस काण्ड के नामित अभियुक्त हैं तथा इन पर लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है। उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–18 के अनुसार, जख्मी द्वारा ईलाज नहीं कराये जाने की बात बताई गयी है। कंडिका–44 के अनुसार, आवेदकगण को पुलिस के द्वारा 35(3) BNSS के तहत लाभ दिया गया है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–268/2026

पौड़ा थाना काण्ड सं0–39/2024

लगातार

01.04.2026

अतः उभय पक्ष के तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों एवं ऊपर में वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर संबंधित विचारण न्यायालय में आत्मसर्मपण करने अथवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर धारा–482 BNSS के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	01.04.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	04.04.26
Uploading by	Nitish Kum. (D.E.O.)